



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:41141

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4341/2026

सूरज उर्फ सूरज कुमार उर्फ कुल्लू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह मंत्रालय विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- आदित्य प्रकाश शर्मा, सन्नी शर्मा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता, व्यास नारायण

शुक्ला

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सन्नी शर्मा, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री अंकिता मिश्रा तथा परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री व्यास नारायण शुक्ला को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत आवेदन, आवेदक को थाना डीह, जनपद रायबरेली में पंजीकृत वाद अपराध संख्या 321/2025, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1), 190, 191(2), 191(3), 109(1) एवं 61(2) के अन्तर्गत जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. उपर्युक्त वाद अपराध छह व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 12.12.2025 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें आवेदक का नाम सम्मिलित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि सूचनाकर्ता का 45 वर्षीय चचेरा भाई मूर्तजा हुसैन अपनी पुत्री इशरत जहाँ के साथ पूरे सरदार मजरे रोखा से मोटरसाइकिल द्वारा अपने घर जा रहा था, तभी अभियुक्तगण ने गोसाईं बाबा के स्थान के निकट रास्ते में उसे रोक लिया और समान आशय से उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह घटना अपराहन 03:50 बजे घटित हुई थी।

4. पंचनामा आख्या में गवाहों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि मृतक की मृत्यु उसके सिर में लगी गोली की चोट के कारण हुई। शव परीक्षण आख्या में दोनों ओर के फ्रंटो-पैराइटल क्षेत्र में 18 सेमी × 16 सेमी आकार की कुचली हुई चोट का उल्लेख किया गया है। खोपड़ी अनेक टुकड़ों में दबी हुई अवस्था में अस्थिभंग पाई गई तथा मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकल आया था। चोट के स्थान पर कालापन, गोदने के चिह्न अथवा गोली का निकास घाव नहीं पाया गया तथा चोट के भीतर कोई गोली भी नहीं मिली। मृतक के शरीर पर बाएँ कान के पीछे से पश्च भाग की ओर पश्चकपाल क्षेत्र में 2 सेमी × 0.5 सेमी आकार का फटा हुआ घाव, बाएँ कान से 9 सेमी पीछे पश्चकपाल क्षेत्र में 2 सेमी × 1 सेमी आकार का घर्षण घाव, तथा नाक की जड़ पर 2 सेमी × 1 सेमी आकार की घर्षित नीलगर्भित चोट भी पाई गई, जिसके नीचे की हड्डी में अस्थिभंग पाया गया। मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व लगी चोटों के परिणामस्वरूप रक्तसावी आघात होना बताया गया है। परिवादी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन को दोहराते हुए, यह बताया कि उसके भतीजे

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मोहम्मद सोफियान ने उसे घटना के संबंध एवं उसने यह भी बताया था कि सभी अभियुक्तगण ने मृतक के सिर में गोली मारी थी। मृतक की पुत्री इशरत जहाँ, जिसके घटना के समय उसके साथ होने का कथन किया गया है, ने बताया कि वह अपने पिता के साथ उनकी मोटरसाइकिल पर अपनी ससुराल से आ रही थी। रास्ते में सभी अभियुक्तगण जान से मारने के लिए ललकारते हुए उसके पिता का पीछा करने लगे। उसने आरोप लगाया कि सह-अभियुक्त नईम ने उसे जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चलाई। जब वे लोग भाग रहे थे, तभी उसका भाई मोहम्मद सोफियान भी पीछे से वहाँ आ गया। उसने देखा कि सभी अभियुक्तगण उसके पिता को ईंटों तथा कुछ अन्य वस्तुओं से मार रहे थे। उसने और उसके पिता मोहम्मद सोफियान ने शोर मचाया। कुछ लोग वहाँ आ गए, जिस पर अभियुक्तगण वहाँ से भाग गए। उसने आगे बताया कि वह अपना पूर्ण बयान देने की स्थिति में नहीं है और बाद में अपना शेष बयान देगी। अपने अतिरिक्त बयान में इशरत जहाँ ने बताया कि उसका छोटा भाई सोफियान और चचेरा भाई तौसीफ उसकी ससुराल से ही दूसरी मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहे थे। सभी अभियुक्तगण ने उसके पिता को घेर लिया। नईम के पास देशी तमंचा था तथा अन्य व्यक्तियों के पास ईंटें और हथौड़े थे। नईम ने गोली चलाई, जिससे उसके पिता मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़े। सभी अभियुक्तगण ने उसके पिता को चारों ओर से घेर लिया और ईंटों तथा हथौड़े से उन पर हमला करने लगे। सभी ने उनके हाथ-पैर पकड़ लिए। नईम ने उनके सिर पर हथौड़े से प्रहार किया तथा अयूब ने ईंटों से प्रहार किया, जिससे उसके पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वह वहाँ से बचकर रोखा अस्पताल पहुँची और किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन से घटना की सूचना दी। उसका भाई मोहम्मद सोफियान और चचेरा भाई तौसीफ रास्ते में रुक गए थे और इसी बीच वे दोनों भी पुलिया पर पहुँच गए तथा उन्होंने घटना को देखा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. मोहम्मद सोफियान ने बताया कि वह और उसका चचेरा भाई तौसीफ एक अन्य मोटरसाइकिल से मृतक का पीछा कर रहे थे। अभियुक्तगण ने मृतक को घेर लिया था। नईम के पास एक देशी तमंचा था और उसने फायर कर दिया, जिससे मृतक अपनी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। सभी ने उसे पकड़ लिया तथा नईम ने हथौड़े से और अय्यूब ने ईंट से उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तौसीफ ने भी इसी प्रकार का बयान दिया।

6. जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में यह कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. यद्यपि आवेदक का नाम न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही कथित प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में अंकित है। उसे सह-अभियुक्त जुवेर अहमद उर्फ जुबैर अहमद तथा रफीक के अभिरक्षा में दिए गए बयानों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त जुवेर अहमद उर्फ जुबैर अहमद तथा रफीक को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 4175/2026 एवं 4178/2026 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2026 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि हुई है तथा आरोप-पत्र दिनांक 11.03.2026 भी प्रेषित किया जा चुका है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत आवेदन का विरोध करते हुए, यह प्रस्तुत किया है कि सभी अभियुक्तगण ने समान आशय से मृतक के सिर पर कई गंभीर चोटें पहुँचाकर उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कारित की है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. उपर्युक्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि घटना को मृतक की पुत्री द्वारा देखा जाना बताया गया है, जो घटना के समय उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर सवार थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि मृतक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की गई, किन्तु उक्त आरोप की पुष्टि शव-परीक्षण आख्या तथा विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बाद के बयानों से नहीं होती है, यह कि कथित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि सह-अभियुक्त नईम ने मृतक के सिर पर हथौड़े से तथा अय्यूब ने ईंट से प्रहार किया, किन्तु आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है; यह कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 14.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा विवेचना भी पूर्ण हो चुकी है और इस प्रकार, मामले के गुण-दोष पर प्रभाव डालने वाली कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को उपर्युक्त अपराध में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं।

10. अतः, यह जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

11. आवेदक-सूरज उर्फ सूरज कुमार उर्फ कुल्लू को उपर्युक्त वाद अपराध में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से उसे छूट प्रदान न की गई हो।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

जून 15, 2026

प्रदीप/-

AI generated Hindi translation has been corrected and authenticated. Suparna

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।